न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमती सोमी पत्नि श्री हंसा, जाति गरासिया, निवासी ढुंढाई, आबूपर्वत		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र/वाद :– 8/2022
दिनांक 13/08/2022

–: निर्णय :–

यह कि वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त.अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम ढुंढाई, पटवार हल्का आबूपर्वत, तहसील देलदर में प्रार्थीया के स्वामित्व की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की निम्न वर्णित खसरा संख्या की कृषि भूमि स्थित है :–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
303/4	0.1834
कुल किता 01	कुल 0.1834 हैक्टेयर

उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थीया की जाति ' सोलंकी ' गलत रूप से दर्ज कर दी गई है, जो गरासिया जाति का गौत्र है। यह कि प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थीया की सही एवं वास्तविक जाति " गरासिया " अंकित की हुई है। यह कि प्रार्थीया गरासिया जाति की अनुसूचित जाति की महिला है, सरपंच ग्राम पंचायत बहादुरपुरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.04.2015 में भी प्रार्थीया की जाति " गरासिया " ही दर्ज है। यह कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वास्तविक जाति गरासिया दर्ज करवाने व उद्घोषणा कर राजस्व रेकर्ड में अमल करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र वादीया द्वारा पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये। जवाब सरकार पेश होने से शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार देलदर, भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत व पटवारी आबूपर्वत ने अपने संयुक्त जवाब में अंकन किया है कि ग्राम ढुंढाई पटवार मण्डल आबूपर्वत के खसरा सं. 303/4 रकबा 0.1834 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है, खातेदार की वास्तविक जाति ग्रासिया है। कि जमांबदी में दर्ज सहखातेदार अनुसार प्रार्थीया की जाति ग्रासिया है एवं उन्होने शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया की जाति सोलंकी के स्थान पर ग्रासिया करने का निवेदन किया है। कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया सोमी की जाति सोलंकी के स्थान पर ग्रासिया किया जाना उचित है।

पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 कैम्प आबूपर्वत में रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी 2075–2078 में ग्राम ढुंढाई पटवार मण्डल आबूपर्वत के खसरा सं. 303/4 रकबा 0.1834 हैक्टेयर में प्रार्थीया सोमी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जाति सोलंकी दर्ज की हुई है। तहसीलदार देलदर, भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत व पटवार रिपोर्ट अनुसार ग्राम ढुंढाई पटवार मण्डल आबूपर्वत के खसरा सं. 303/4 रकबा 0.1834 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है, खातेदार की वास्तविक जाति ग्रासिया है राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया सोमी की जाति सोलंकी के स्थान पर ग्रासिया किये जाने की अनुशंसा की गई है तथा उक्त जमांबदी में दर्ज सहखातेदार द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ता है कि जमाबंदी में प्रार्थीया की जाति सोलंकी के स्थान पर गरासिया अंकित की जाती है तो उन्हे आपत्ति नही है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम कुंडाई पटवार मण्डल आबूपर्वत के खसरा सं. 303/4 रकबा 0.1834 हैक्टेयर में सहखातेदार वादीया सोमी पत्नि ...ला की जाति गरासिया घोषित की जाती है। तहसीलदार देलदर को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner